न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश क्रम–6, जयपुर महानगर–प्रथम

पीठासीन अधिकारी – मुकेश परनामी

आपराधिक विविध (जमानत) प्रार्थना पत्र संख्या–2281/2025
CNR Number : RJJM010302512025

कुनाल पाराशर (कुणाल पाराशर उर्फ किट्टू)
पुत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा,
निवासी–पीचूपाडा कलां, दौसा, (राज.)।

– प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये लोक अभियोजक

– अप्रार्थी

जमानत प्रार्थना पत्र
अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–115/2025 साइबर पुलिस थाना, आयुक्तालय, जयपुर

उपस्थित –

1. सुश्री नीतू साहनी, अधिवक्ता–प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से।
2. श्री दिवाकर रावल, अपर लोक अभियोजक–राज्य की ओर से।

:: आदेश :: दिनांक : 26 नवम्बर, 2025

न्यायालय द्वारा–

साइबर पुलिस थाना, आयुक्तालय, जयपुर पर पंजीबद्ध उक्त वर्णित प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–115/2025 में उक्त प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध धारा 308(4), 111(2)(b), 111(3), 61(2)(b) भारतीय न्याय संहिता, 2023 एवं धारा 66D सूचना प्राद्योगिकी अधिनियम व धारा 3/25, 3/30 आयुध अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध प्रमाणित मानते हुए दिनांक 26.09.2025 को गिरफ्तार किए जाने के उपरांत प्रस्तुत जमातन प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 480 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम–8, जयपुर महानगर–प्रथम द्वारा आदेश दिनांक 10.10.2025 से खारिज किए जाने के उपरांत दिनांक 14.11.2025 को उक्त जमानत प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर–प्रथम के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जो जरिए अंतरण इस न्यायालय को सुनवाई हेतु प्राप्त हुआ।

2. प्रार्थना पत्र की प्रति अभियोजन पक्ष को जरिए अपर लोक अभियोजक उपलब्ध कराई गई।

3. सुना गया।

4. उक्त प्रकरण के सक्षिप्ततः एवं सारतः तथ्य यह हैं कि राजस्थान पुलिस प्राथमिकताऐं, 2025 की पालना में उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार परिवादी श्री ओमप्रकाश, सहायक उप निरीक्षक, साईबर पुलिस थाना मय जाप्ता संगठित साईबर अपराधों की रोकथाम हेतु जयपुर शहर रवाना हुआ तो उसे मुखबीर खास से जयपुर शहर में राजस्थान व पंजाब के गैंगस्टरों द्वारा व्यापारियों, कारोबारियों, ज्वैलर्स को जान से मारने की धमकी देकर फिरौती की मांग करना, हरि बॉक्सर द्वारा हाल ही में जयपुर में धमकी देकर 10 करोड की मांग किया जाना, जिसका विदेश में अनमोल विश्नोई की गैंग के लिए काम करना, जिसके सम्पर्क में नेत्रपाल सिंह तथा मान बॉक्सर उर्फ मान प्रजापति फाइनेंसर का होने की जानकारी दिए जाने पर उक्त दोनों को निरूद्ध कर, उनके फोन की जांच करने पर हरि बॉक्सर से व्हाट्सएप/फेसबुक मेसेंजर द्वारा वार्तालाप (Chat) पाई गई, जिससे उक्त नेत्रपाल सिंह तथा मान बॉक्सर उर्फ मान प्रजापति फाइनेंसर द्वारा हरि बॉक्सर का व हरि बॉक्सर द्वारा अनमोल विश्नोई का सहयोग करने से संगठित गिरोह का सदस्य होना पाए जाने के आधार पर उक्त सहायक उप निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर उक्त वर्णित प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुई।

5. उक्त प्रकरण में अनुसंधान के दौरान उक्त प्रार्थी/अभियुक्त को दिनांक 26.09.2025 को गिरफ्तार किया।

6. बहस के दौरान प्रार्थी/अभियुक्त के अधिवक्ता द्वारा सारतः यह तर्क दिए कि उक्त प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध जान से मारने की धमकी देकर फिरौती वसूली जैसे संगठित अपराध करने वाले गैंगस्टर अनमोल विश्नोई के सहयोगी हरि बॉक्सर से मिली भगत होने की साक्ष्य के आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त को आलिप्त किया है जबकि इस संबंध में अनुसंधान पत्रावली पर कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त को सह–अभियुक्त सचिन बडौदिया की सूचना के आधार पर आलिप्त किया गया है, प्रार्थी/अभियुक्त को मिथ्या रूप से साइबर संगठित अपराध से जोडा गया है, जबकि कोई साईबर अपराध ही गठित नहीं होता है।

7. यह भी तर्क दिए गए कि उक्त प्रकरण में सह अभियुक्त कर्मवीर शर्मा उर्फ सोनू को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, पीठ जयपुर द्वारा एकल पीठ आपराधिक विविध जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 13079/2025 में पारित आदेश दिनांक 19.11.2025 से जमानत पर स्वतन्त्र किया जा चुका है। प्रार्थी का मामला उससे किसी प्रकार से भिन्न नहीं है, अतः माननीय उच्च न्यायालय द्वारा खेतसिंह व अन्य बनाम राज्य के मामले में पारित आदेश दिनाक 25.01.2021 के. परिप्रेक्ष्य में जमानत पर स्वतन्त्र किया जावे।

8. इसके विपरीत अपर लोक अभियोजक द्वारा यह तर्क दिया गया कि उक्त मामले में प्रार्थी/अभियुक्त का मामला कर्मवीर शर्मा उर्फ सोनू के मामले में पूर्णतया भिन्न है, उसके विरूद्ध सह–अभियुक्त हैरी बॉक्सर को कोई कोरियर भेजने का ही आरोप है, जबकि प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध हैरी बॉक्सर के कहने पर सह अभियुक्त सचिन बडौदिया को पिस्टल उपलब्ध कराने का आरोप है, जिससे प्रार्थी/अभियुक्त का संगठित अपराध का सदस्य होना प्रमाणित हुआ है, वर्तमान इस प्रकृति के अपराधों में निरन्तर वृद्धि हो रही है, अतः प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जावे।

9. उभय पक्ष के तर्कों पर मनन कर, पत्रावली का आद्योपांत परिशीलन किया गया।

10. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा (2020) 4 RLW 3386 ; Jugal Kishore vs. State of Rajasthan के मामले में प्रतिपादित न्यायिक मत के निर्देशानुसार अभियोजन द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध पुलिस थाना एयरपोर्ट जयपुर पूर्व व पुलिस थाना खो–नागोरियान, जयपुर पूर्व पर आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होना दर्शित हुआ है।

11. माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ द्वारा S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 13079/2025 Karmveer Sharma @ Sonu vs The State of Rajasthan के मामले में पारित आदेश दिनांक 19.11.2025 से सह–अभियुक्त कर्मवीर शर्मा जिसके विरूद्ध हरी बॉक्सर को कोई कोरियर भेजने का आरोप था, को जमानत पर स्वतन्त्र किया गया है।

12. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 861/2021 Khet Singh & Anr. vs State Through P.P. के मामले में पारित आदेश दिनांक 25.01.2021 से निम्न मत प्रतिपादित किया गया है–

> "..... It is henceforth expected from all the Subordinate Courts in the State of Rajasthan that where similarly situated co-accused has been granted bail by this Court and the bail application of other accused comes up for consideration, this Court's order/s shall not only be referred to while deciding such bail application/s but shall be followed unless exceptional/ distinguishable features exist."
>
> *(emphasis supplied)*

13. उक्त मामले में प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध सह–अभियुक्त सचिन बडौदिया को पिस्टल उपलब्ध कराए जाने का आरोप है। उक्त प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा उक्त पिस्टल भरतपुर से 36 हजार रूपए में खरीदकर लाया जाना और सह–अभियुक्त सचिन का हरि बॉक्सर के लिए काम करना भी साक्ष्य से प्रतीत हुआ है। सह–अभियुक्त कर्मवीर शर्मा द्वारा भी हरि बॉक्सर के लिए कोरियर भेजने से उसके लिए कार्य करना ही प्रकट हुआ है, किन्तु उक्त प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा अवैध रूप से प्राप्त की गई पिस्टल सह–अभियुक्त को उपलब्ध कराया जाना प्रकट होने से उसका मामला कर्मवीर शर्मा उर्फ सोनू के समरूप होना नहीं कहा जा सकता, ऐसी स्थिति में उक्त प्रार्थी/अभियुक्त, सह–अभियुक्त कर्मवीर शर्मा उर्फ सोनू को प्राप्त जमानत के आधार पर जमानत प्राप्त करने का अधिकारी होना प्रकट नहीं होता।

14. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Mahipal vs Rajesh Kumar @ Polia & Anr., (2020) 2 SCC 118 के मामले में धारा 439 दण्ड प्रक्रिया संहिता जो कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 483 के समरूप ही है, का निर्वचन करते हुए सारतः अभिनिर्धारित किया है कि इस प्रक्रम पर गवाहन की साक्ष्य का न तो गहनता से विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है और न ही विधितः अनुमत है।

15. जमानत आवेदन को निर्णीत करते समय अभियोग की प्रकृति, अपराध/सजा की गंभीरता, अभियोग के समर्थन में साक्ष्य की प्रकृति, अभियुक्त के न्याय से भागने

की संभावना, अभियुक्त के रिहाई का अभियोजन पक्ष के गवाहान पर प्रभाव व आरोपी द्वारा सबूतों से छेडछाड की आशंका जैसे प्राथमिक तथ्यों को प्रत्येक मामले के तथ्यों व परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में ध्यान में रखा जाना चाहिए जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Kamla Devi vs. State of Rajasthan and Anr. ; AIR 2022 SC 1524 एवं Prahalad Singh Bhatti vs. NCT of Delhi ; (2001) 4 SCC 280 के मामलों में अभिनिर्धारित किया गया है।

16. अनुसंधान पंजिका से प्रार्थी/अभियुक्त का निरन्तर विधि विरूद्ध गतिविधियों में शामिल होना भी प्रकट हुआ है। अतः मामले के तथ्यों का समेकित रूप से दृष्टिगत रखते हुए जबकि प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध धारा 308(4), 111(2)(b), 111(3), 61(2)(b) भारतीय न्याय संहिता, 2023 एवं धारा 66D सूचना प्राद्योगिकी अधिनियम व धारा 3/25, 3/30 आयुध अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध प्रमाणित माना गया है, गुणावगुण पर कोई भी राय व्यक्ति किए बिना न्यायालय उक्त प्रार्थी अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित नहीं पाता है।

:: आदेश ::

17. फलतः प्रार्थी/अभियुक्त **कुनाल पाराशर (कुणाल पाराशर उर्फ किट्टू)** की ओर से प्रस्तुत यह जमानत का आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 एतद्नुसार अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

18. यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त आदेश में की गई टिप्पणियां वर्तमान जमानत आवेदन तक ही सीमित हैं और इसका सेशन प्रकरण के गुण–दोष पर कोई प्रभाव नहीं होगा।

(मुकेश परनामी)

19. आदेश आज दिनांक 26.11.2025 को विवृत्त न्यायालय में बाद हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकन, प्रसारित किया गया।

(मुकेश परनामी)